

डिब्बी बमूकवमें हेखवाई  
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 खण्ड प्रक्रिया संश्लेष  
 न्यायालय साहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डिब्बी  
 पीठासीन अधिकारी-उमोव सिंह रतनू आर.ए.एस.  
 प्रकरण संख्या-412/2012

.....  
 .....  
 .....

1. गुरदेवसिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी दाणी संवत्सिंह वाली  
 तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनाम

.....

1. सोहनसिंह पुत्र घरीटारसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी दाणी संवत्सिंह तहसील  
 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

.....

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उमोवसिंह रतनू आर.ए.एस.के सम्मक्ष कारने  
 इनफिसाल कतई शेबरु हमारे बहाजरी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता वादी गिन  
 जामिन मुदई श्री अब्दुल रात्तार जोईया अधिवक्ता प्रतिवादी गिन जामिन मुदायला पेश  
 होकर हुवम दिया जाता है व डिप्री वी जाली है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है  
 कि मा.जिला न्यायाधीश हनुमानगढ़ के यहाँ तरदीक रजिनामा दिनांक 17/9/2011 के  
 अनुसरण में चक नं. 6 जीजीआर के खाता संख्या 162/2 में गुरदेवसिंह आदि में दर्ज  
 कुल भूमि 0.860 है.प्रतिवादी सोहनसिंह के नाम अंकित 0.287 है,में से प.नं. 204/279  
 (1) कि.नं. 25/1 की 0.126 है.गैर मुमकिन दाणी का वादी को खातेदार काश्तकार  
 घोषित किया जाता है वा प्रतिवादी सोहनसिंह शेष 0.161 यथावत रखे जाने के आदेश  
 दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज किये जाने के  
 आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात राजस्व  
 रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज ..... निल ..... मुद्लिक ..... निल ..... बाबत ..... निल ..... खर्चा मुकदमें के म  
 शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक 12.7.2017 अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 12.7.2017 को राजस्व लोक  
 अदालत-न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत टिब्बी में जारी किया गया।



.....  
 (उमोवसिंह रतनू)  
 जिला न्यायाधीश एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी